NO-III

कद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – **जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर** 2024/60

श्रीमती पुष्पा रानी लखन पत्नी स्व0 सुरेश कुमार **बनाम** श्री विकास कुमार लखन व अन्य

किस्म मुकदमाः– धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 **प्रकरण संख्याः** 28 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2024	अपीलान्ट उपस्थित। अपील बाद चैक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.08.2024 को पेश हो। डॉ. भारती दीक्षित जिला कलक्टर, अजमेर	
06/08/2024	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट उपस्थ। रेस्पोंडेन्ट द्वारा जवाब दावा हेतु समय चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय का वांछित रिकॉर्ड प्राप्त। पत्रावली पर जवाब दावा हेतु दिनांक 27-8-2024 को पेश हो। डॉ. भारती दीक्षित जिला कलक्टर, अजमेर	विकास Shivam Lakhan
27/8/24	पत्रावली में उपस्थित उभय पक्ष की आपसी सहमति से प्रकरण पर किसी अन्य तारीख पर अगले सिरे से बहस का निर्णय किया कि प्रार्थिया का पक्ष समझ लिया गया है। आपसी सहमति के बीच आपसी पारिवारिक समझौता होने से अ. का. पक्ष को सिरे से निस्तारित करते हुए। अतः उभयपक्ष परिवारिक के मध्य नए पक्षों को प्रार्थिया एवं प्रार्थी पक्ष को सिरे किये गये है पर प्रार्थी पक्ष की सहमति पर प्रार्थी स्वयं के अलावा किसी अन्य परिवार के सदस्य परिवार से सम्पर्क करने पर सहमत नहीं किये पत्रावली के साथ कुमार दीक्षित भारत के कहा है डॉ. भारती दीक्षित जिला कलक्टर, अजमेर	विकास Shivam Lakhan पुष्पारानी